

Order or
Proceeding

Order or proceeding with Signature of presiding

Signature of
Parties or
Pleaders where
necessa

9-9-2.

परिवादी विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपमहाप्रबंधक की ओर से सहायक यंत्री/कनिष्ठ यंत्री सहित उनके अधिवक्ता श्री उपा0 ।

आरोपी / गण सहित / द्वारा अधि0 श्री उपा0 / आरोपी अनुपस्थिति ।

प्रकरण नेशनल / मेगा लोक अदालत में पेश हुआ है ।

यह परिवाद विद्युत विभाग द्वारा धारा 135(1)क विद्युत अधिनियम के तहत आरोपीपक्ष के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है । इस परिवाद में आरोपी पक्ष पर धारा 135(1)क विद्युत अधिनियम का आरोप लगाया गया है ।

उक्त परिवाद मामले में विद्युत विभाग की ओर से उक्त कार्यपालन यंत्री की ओर से सहायक यंत्री/कनिष्ठ यंत्री ने अपने अधिवक्ता सहित धारा 152 विद्युत अधिनियम के तहत आवेदन पेश कर व्यक्त किया है कि इस मामले में विद्युत उर्जा की राशि नेशनल / मेगा लोकअदालत के मान से व समन शुल्क जमा किया जा चुका है । अतएव लोक अदालत में उक्त प्रकरण समाप्त किया जावे ।

सुनाया गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया ।

विचारोपरांत धारा 152 विद्युत अधिनियम का आवेदन स्वीकार योग्य होने से उसके आलोक में आरोपी पक्ष को दोषमुक्त किया गया । आरोपी का अगर जमानती / गिरफ्तारी वारंट जारी हो तो उसे अदम बापस बुलाने हेतु पत्र अविलंब जारी हो ।

प्रकरण में कोई जप्ताशुदा सम्पत्ति नहीं है ।

परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे ।

वीरेन्द्र सिंह राजपूत

पीटारसीन अधिकारी खण्डपीठ क्र0-18

एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम

गोहद, जिला भिण्ड